भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3690
उत्तर देने की तारीख: 12.08.2025

नशा मुक्त भारत अभियान के लिए निधि

3690. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री भोजराज नाग:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में नशा मुक्त भारत अभियान के लिए आवंटित की गई और उपयोग की गई राज्यवार और जिलेवार कुल निधि कितनी है;

(ख) क्या देश मे नशा मुक्त भारत अभियान योजना कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो अभियान के अंतर्गत की गई प्रमुख गतिविधियों का राज्यवार और जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें ऐसे अभियान में सक्रिय रूप से पर्याप्त समर्थन और सहयोग प्रदान कर रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार नशा मुक्त देश का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो क्या इसे प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और जिलेवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 2020 को 272 चिन्हित सबसे

संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया था और अब इसका देश के सभी जिलों में विस्तार कर दिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के अंतर्गत, प्रति ज़िला 10 लाख रुपए जारी करने का प्रावधान है। राज्य कार्य योजना (एसएपी) प्रस्ताव के अनुसार, ज़िलों को धनराशि जारी करने के लिए राज्यों को धनराशि जारी की जाती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान एनएपीडीडीआर योजना के राज्य कार्य योजना घटक के अंतर्गत एनएमबीए घटक के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

(ख): नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य आम जनता तक पहुंचना और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करना, नशे पर निर्भर आबादी तक पहुंचना और उसकी पहचान करना, अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में परामर्श और उपचार सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना शामिल है।

एनएमबीए की अब तक की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

i. अब तक, जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, 16.5+ करोड़ लोगों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूक किया गया है, जिनमें 5.5+ करोड़ युवा और 3.43+ करोड़ महिलाएं शामिल हैं।
ii. 4.47+ लाख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे।
iii. 20,000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों (एमवी) के एक सशक्त कार्यबल की पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।
iv. एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई है।
v. एनएमबीए मोबाइल एप्लीकेशन एनएमबीए गतिविधियों के आंकड़ों को एकत्रित करने तथा जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एनएमबीए डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए विकसित किया गया है।
vi. एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) उपयोगकर्ता/व्यूवर को इस अभियान के बारे में, एक ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-शपथ के बारे में विस्तृत जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
vii. नशा मुक्ति के लिए आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन शपथ में 99,595 शैक्षणिक

संस्थानों के 1.67+ करोड़ छात्रों ने नशा मुक्त होने की शपथ ली।

viii. युवाओं और अन्य हितधारकों को जोड़ने के लिए 'नशे से आजादी- राष्ट्रीय युवा और छात्र संवाद (इंटरेक्शन) कार्यक्रम', 'नया भारत, नशामुक्त भारत', 'एनसीसी के साथ एनएमबीए संवाद (इंटरेक्शन)' जैसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

ix. एनएमबीए को समर्थन देने और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्मकुमारी, संत निरंकारी मिशन, अखिल विश्व गायत्री परिवार, इस्कॉन और श्री राम चंद्र मिशन जैसे छह आध्यात्मिक/सामाजिक सेवा संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

x. नशामुक्ति हेतु एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 स्थापित की गई है ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता चाहने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 4.3 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हो चुकी हैं।

xi. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष 26 जून नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

xii. एनसीसी कैडेट अधिकारियों के साथ एनएमबीए संवाद (इंटरेक्शन) आयोजित किया गया और इसमें 700 अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे। देश भर में लगभग 40,000 कैडेट ऑनलाइन उपस्थित रहे।

xiii. राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद (इंटरेक्शन) कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

xiv. सीमा सुरक्षा बलों को विशेष मॉड्यूलों के साथ प्रशिक्षण देकर तथा इन क्षेत्रों में नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना करके सीमावर्ती क्षेत्रों में एनएमबीए का कार्यान्वयन किया जाता है।

xv. 12 अगस्त, 2024 को एनएमबीए पर एक सामूहिक प्रतिज्ञा/शपथ आयोजित की गई और 2+ लाख संस्थानों के लगभग 3+ करोड़ लोगों ने राष्ट्रव्यापी शपथ में भाग लिया।

(ग) और (घ): राज्य सरकारें नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के सुचारू कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और सहायता प्रदान कर रही हैं। एनएमबीए का कार्यान्वयन राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय नशा मुक्त भारत अभियान समितियों के माध्यम से किया जाता है। देश भर के सभी जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान को लागू करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राज्य सरकारों से निम्नलिखित उपाय करने का अनुरोध किया है-

i. सभी जिलों में राज्य स्तरीय एनएमबीए समिति और जिला स्तरीय एनएमबीए समितियों का गठन सुनिश्चित करें।

ii. यह सुनिश्चित करना कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय समितियां नियमित आधार पर अपनी बैठकें आयोजित करें।

iii. गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 50 मास्टर स्वयंसेवकों की पहचान और नियुक्ति करें।

iv. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) के सहयोग से चिन्हित मास्टर स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दें।

v. नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का संचालन करें और एनएमबीए मोबाइल ऐप पर गतिविधियों को अपलोड करें।

इसके अलावा, इस विभाग द्वारा विद्यार्थियों (6ठी-11वीं कक्षा), शिक्षकों और अभिभावकों को नशीले पदार्थों पर निर्भरता, इससे निपटने की कार्यनीतियों और जीवन कौशल के बारे में जागरूक करने के लिए नवचेतना मॉड्यूल, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के कार्यान्वयन की राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ मासिक समीक्षा बैठकों, चिंतन शिविरों और राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इन बैठकों के दौरान, राज्यों से एनएमबीए के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपर्युक्त उपाय करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

*****